जनसुनवाई में पहुंची 325 शिकायतें, जरूरतमंदों की सहायता के दिए निर्देश

कचरा जलाना बंद करें, चार हजार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को खतरा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584460010

कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान रंगवासा क्षेत्र के निजी महाविद्यालय के पास दो साल से कचरे का डम्पिंग ग्राउंड बना हुआ था। यहां प्रतिदिन कचरा जलाया जा रहा था, जिसके कारण चार हजार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खतरे में था। कॉलेज प्रबंधन द्वारा दो सालों से पंचायत और प्रदूषण बोर्ड को शिकायत की जा रही थी, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता केशव पाटीदार ने बताया कि यहां औद्योगिक क्षेत्र का कचरा डम्प किया जाता था, जिसको जलाने से जहरीली गैस उत्पन्न होती थी, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही है। क्षेत्र के रहवासी, किसान भी समस्या से परेशान हैं। दिसम्बर से डम्पिंग ग्राउंड हटाने का काम शुरू होगा। वहीं मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में 325 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें किसी


जनसुनवाई में पीड़ित की समस्या सुनते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा।

ने इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगी तो कोई पेंशन, रोजगार, अतिक्रमण और राजस्व संबंधी शिकायत लेकर पहुंचा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला की परेशानी सामने आने पर कलेक्टर ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला को मिलेगी राहत- गौरी नगर निवासी करीब 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला कैंसर से पीड़ित हैं और शासकीय अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। जनसुनवाई में उनकी समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस पर बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के प्रति आभार जताया।

रोजगार और इलाज के लिए मिलेगी मदद- जनसुनवाई में चर्मरोग से पीड़ित एक अन्य आवेदक को शासन की योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंदों को स्वनिधि और मुद्रा योजना सहित रोजगारमूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता के पात्र मामलों में भी देरी नहीं होनी चाहिए।

अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई करने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

घर में अचेत मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अस्पताल में तोड़ा दम



इंदौर। मनोरमागंज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह सोमवार को घर के अंदर अचेत अवस्था में पड़ा मिला था। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो वे उसे तत्काल एमवाय लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शौर्य पिता पंकज माली के रूप में हुई है। पलासिया पुलिस के अनुसार, शौर्य मनोरमागंज में देवी अपार्टमेंट के पास स्थित मकान में रहता था। वह विदेशी कंपनी के लिए घर से ही काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद पलासिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

जनसुनवाई में लेनदेन, जमीन-मकान से जुड़ी शिकायतें आईं

पुलिस कमिश्नर ने पीड़ितों की समस्याएं सुनकर दिए कार्रवाई के निर्देश

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

पारिवारिक विवाद, जमीन-मकान की धोखाधड़ी और लेनदेन में परेशान लोगों की समस्याएं सुनने जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें पुलिस कमिश्नर ने एक-एक आवेदक की शिकायत सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 79 आवेदन पहुंचे थे।

जनसुनवाई में किसी ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया तो किसी ने बहू द्वारा झूठे केस में फंसाने की शिकायत की। पड़ोसियों से विवाद और पुलिस में सुनवाई नहीं होने की शिकायतें भी सामने आईं। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा इंटर्नशिप का वेतन


पुलिस की जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर पीड़ितों से चर्चा करते हुए।

नहीं देने तथा किराए पर कार लेकर वापस नहीं करने के मामले भी रखे गए। प्लॉट, मकान, दुकान, जमीन पर कब्जे तथा संपत्ति के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े आवेदन बड़ी संख्या में आए। महिला अपराधों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। अधिकारियों के अनुसार, हर विवाद में केवल कानूनी कार्रवाई ही समाधान नहीं होती। कई पारिवारिक और आपसी विवादों को मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से काउंसलिंग कर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर विवादों का जल्द निराकरण करना है।

वाइन शॉप के गल्ले से चुराए 25 हजार रुपए

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में वाइन शॉप के कर्मचारी ने गल्ले से 25 हजार रुपए निकाल लिए। पिपलियापाला स्थित प्रतीक्षा वाइन शॉप के मैनेजर राज जायसवाल ने कर्मचारी शुभम जायसवाल पर रुपए चोरी करने का आरोप लगाया है। फरियादी राज ने बताया कि रविवार को जब उसने शराब बिक्री का हिसाब मिलाया तो 25 हजार रुपए कम मिले। कर्मचारियों से इस बारे में पूछा तो सभी ने इनकार करदिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए तो शुभम दराज से पैसे निकालता दिखाई दिया।

युवक का खाता पांच राज्यों में ठगी के लेनदेन में हुआ इस्तेमाल

ऑपरेशन मैट्रिक्स में 10 शिकायतें मिलीं, क्राइम ब्रांच ने युवक को पकड़ा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचाने ठग अब म्यूल खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे खातों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ा। युवक के बैंक ऑफ इंडिया की विजय नगर शाखा के खाते में पांच राज्यों में हुए फ्रॉड की रकम के लेनदेन में हो रहा था। एनसीआरपी पोर्टल पर इस खाते से संबंधित 10 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज मिली हैं।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, अंतरराज्यीय ठगी में इस्तेमाल हो रहे खातों की जानकारी जुटाने एनसीआरपी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध खाते की जानकारी सामने आई। जांच में खाता गौरव तिवारी निवासी मां शारदा नगर के नाम पर मिला। युवक के खाते में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुई ठगी का पैसा जमा हुआ था। पुलिस अब खाते के केवाईसी दस्तावेज, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी की रकम किन लोगों ने खाते में जमा कराई। आगे किन खातों में भेजी गई। खाते के इस्तेमाल से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मामले में धारा 318(4), 319(2), 61(2) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

त्योहार मनाने गए किसान के घर से सोने की चेन, पायजेब और नकदी ले उड़े बदमाश

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

त्योहार मनाने बाहर जाना किसान परिवार को महंगा पड़ गया। कनाड़िया क्षेत्र में बदमाशों ने सूने मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सोने की चेन, पायजेब और नकदी लेकर फरार हो गए। मंगलवार को चोरी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनमें कुछ संदिग्ध युवक इलाके में घूमते और मकानों की रैकी करते नजर आ रहे हैं।

किसान प्रवीण अपने परिवार के साथ तीन-चार दिन से रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके मकान को निशाना बनाया। प्रवीण परिवार के साथ घर लौटे तो उन्हें चोरी होने का पता चला। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे कैमरों के फुटेज जुटाए हैं। इनमें कुछ संदिग्धों की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पुलिस उनके आने-जाने के रास्तों और हुलिए के आधार पर पहचान का प्रयास कर रही है। फिलहाल फरियादी से आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है।

बाइक की नंबर प्लेट पर 6114 को फैंसी अंदाज में लिखा 'बाप'

पुलिस ने वाहन चालक पर लगाया 6300 रुपए का जुर्माना

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

वाहन की नंबर प्लेट पर अलग पहचान बनाना चालक को महंगा पड़ गया। उसने बाइक के नंबर के आखिरी चार अंकों 6114 को इस तरह लिखवाया था कि वह 'बाप' नजर आ रहा था। भ्रमण के दौरान पुलिस की नजर वाहन पर पड़ी तो उसे रोककर कार्रवाई की गई। चालक पर अमानक नंबर प्लेट सहित अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए 6300 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

जोन-3 के प्रभारी अरविंद दांगी यातायात व्यवस्था का जायजा लेने भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर दोपहिया वाहन पर पड़ी। वाहन की नंबर प्लेट पर एमपी 09 ईडी 6114 लिखा था, लेकिन उसकी प्लेट पर डिजाइन की गई थी। शुरुआत में चालक का कहना था कि प्लेट पर वाहन का पंजीयन नंबर ही लिखा हुआ है। इस पर प्रभारी ने उसे समझाया कि नंबर



प्लेट पर अंकों को तोड़-मरोड़कर या आकर्षक डिजाइन में लिखवाना नियमों के विरुद्ध है। इससे सीसीटीवी कैमरों और पुलिस को वाहन की पहचान में परेशानी होती है। समझाइश के बाद चालक ने अपनी गलती स्वीकार की। जुर्माना वसूलने के बाद पुलिस ने उसे भविष्य में निर्धारित मानकों के अनुसार ही नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी।

पर्ची बनवाने के बहाने खाते से निकाले रुपए

इंदौर। चंदननगर निवासी मो. शाहिद को 7 नवंबर को व्हाट्सऐप्प कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अस्पताल की पर्ची बनवाने के नाम पर पिन जनरेट करवाया। 10 रुपए ट्रांसफर कराए। 11 नवंबर को मोबाइल बंद होने के बाद खाते से यूपीआई के जरिए 7 लाख 69 हजार 772 रुपए निकल गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिए हैं।

निर्माणाधीन मकान और सूने घर भी निशाने पर

इंदौर। लसूड़िया के हरेकृष्णा विहार में निर्माणाधीन मकान से कॉपर के 11 बक्से चोरी हो गए। विस्तारा टाउनशिप में चोर चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और नल ले गए। तिलक नगर के श्री मंगल नगर, पलासिया के मनभावन नगर और महू में भी जेवरात, घरेलू सामान चोरी होने की शिकायतें मिली हैं। पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है।

केरल से आए कंपनी के जनरल मैनेजर की मौत

पैर दर्द की शिकायत के बाद बिगड़ी थी तबीयत, पुलिस जांच में जुटी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287



निजी कंपनी में पदस्थ जनरल मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह 25 दिन पहले ही केरल से आए थे। सोमवार को पैर दर्द बढ़ने के बाद वे डॉक्टर के पास पहुंचे थे। डॉक्टर ने उन्हें निजी अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान हालत बिगड़ गई। बाद में कंपनी के कर्मचारी उन्हें एमवाय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मेनन दिनेश पिता करुणा कृष्णन निवासी महालक्ष्मी नगर के रूप में हुई है।

लसूड़िया पुलिस के अनुसार, वे मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। एबी रोड स्थित क्रिस्टल कॉर्पोरेट बिल्डिंग में संचालित वडोरा इंडिया प्रालि. में कार्यरत थे। कंपनी का प्लांट टीकमगढ़ में है, जहां केबल और कनेक्टर का निर्माण किया जाता है। कंपनी स्टाफ ने बताया कि दिनेश के पैर में कुछ दिन से दर्द हो रहा था। इसके चलते वे बंगाली चौराहे पर डॉक्टर नितिन साहू से उपचार करवा रहे थे। सोमवार को तबीयत ठीक नहीं होने से वे ऑफिस भी नहीं पहुंचे। शाम को दर्द बढ़ने पर उन्होंने डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया। इसके बाद क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने उनकी स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल जाने की सलाह दी। वे अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल प्रबंधन ने कंपनी के कर्मचारी जीवन राजा को जानकारी दी। घटना की जानकारी कंपनी हेड ऑफिस को देने के साथ ही केरल में रह रहे परिजनों से संपर्क किया गया। मंगलवार को उनकी पत्नी बेटी और अन्य परिजनों के साथ इंदौर पहुंची। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर-452020, म.प्र., भारत फोन: (91 731) 2437604 / 642;
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in; वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

डाक मतपत्र सूचना

कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि धारा 110 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (अधिनियम) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार, (नियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, (सूचीकरण विनियम) (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) सहित, या पुनः अधिनियमन (एस) तत्संबंधी, फिलहाल लागू), सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्र), कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक भारत, एक पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक अक्टूबर 30, 2026, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के अनुमोदन की मांग करते हुए पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित संकल्पों पर केवल उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, नवंबर 12, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में परिलक्षित हैं। कंपनी ने मंगलवार, नवंबर 17, 2026 को ई-मेल के माध्यम से पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा है।

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.yellowdiamond.in** पर स्टॉक एक्सचेंज यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर उपलब्ध होगा साथ ही सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध होगा।

नियमों, लिस्टिंग विनियमों और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान का तरीका केवल ई-वोटिंग तक ही सीमित है, अर्थात फिज़िकल पोस्टल बैलट फॉर्म जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालना है। कट-ऑफ तारीख नवंबर 12, 2026 को सदस्यों के वोटिंग अधिकार कंपनी की पेड इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, नवंबर 12, 2026 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य संकल्पों के संबंध में केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं ऐसा पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित किया गया है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए।

ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, नवंबर 19, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और शुक्रवार, दिसंबर 18, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होती है। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया को उनके डीमैट खातों / डिपॉजिटरी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से सक्षम किया गया है। मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने संबंधित डीपी / आरटीए के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता अपडेट करें। पोस्टल बैलेट नोटिस में ई-वोटिंग की लॉगिन विधियों के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

सदस्य, जो डीमैट धारण के मामले में अपना ई-मेल पता अपडेट या पंजीकृत करना चाहते हैं, कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें, उनके डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार और भौतिक रूप से होल्डिंग, फॉर्म ISR-1 विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित KFin Technologies Limited, कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट **einward.ris@kfintech.com** पर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे शेयर ट्रांसफर एजेंट, KFin Technologies Limited, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना, भारत में संपर्क करें या **einward.riskfintech.com** पर ईमेल भेजें। शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट **https://www.kfintech.com** है।

रिमोट ई-वोटिंग का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रविवार, दिसंबर 20, 2026 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट **www.yellowdiamond.in** और सीडीएसएल की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com** पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ भी प्रदर्शित किए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित सभी टिप्पणियों विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें **श्री राकेश दलवी**, सीनियर मैनेजर (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 को भेजी जा सकती है या **helpdesk.evotingcdslindia.com** पर ई-मेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
संजय चौरे
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: **इंदौर (म.प्र.)**
दिनांक: **नवंबर 17, 2026**

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362 266 | (फोन) +91 2243567100 | (टोल फ्री) 1800 270 7000 | CIN: U65922GJ2009PLC083779 | homefinance.adityabirlacapital.com

ADITYA BIRLA CAPITAL HOME LOANS

डिमांड नोटिस (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' की धारा 13(2) के तहत नोटिस की 'प्रतिस्थापित तामील'।

नीचे बताए गए कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने 'आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' से ली गई क्रेडिट सुविधा को चुकाने में चूक की है, इसलिए RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के रिकॉर्ड में उनके लोन खातों को "नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स" (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसके बाद, ABHFL ने इन कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों पर SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत 'डिमांड नोटिस' (मांग नोटिस) भेजे हैं। इन नोटिसों के जरिए उनसे कहा गया है कि वे बकाया पूरी रकम, उस पर अनुबंध के अनुसार लगने वाला ब्याज, और नोटिस में बताए गए अन्य खर्चों व शुल्कों का भुगतान करें। इसके अलावा, 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' (SARFAESI रूल्स) के नियम 3 के अनुसार, यह डिमांड नोटिस सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करके भी तामील किया जा रहा है:

स. क्र.	नाम और पता उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटरकर्ता/सह-गारंटरकर्ता और ऋण खाता सं.	एनपीए तिथि	डिमांड नोटिस की तारीख	मांग पत्र अनुसार बकाया राशि / दिनांक अनुसार
1	1. गणेश, ग्राम पंचायत टेक्स रसीद क्रमांक 665 पर मकान, ब्लॉक धरमपुरी, आर.एन.वी. 01,, पी.एच.नं. 13, ग्राम गुजरी, तहसील धरमपुरी और जिला धार, मध्य प्रदेश, 454552. 2. गोविंद, ग्राम पंचायत टेक्स रसीद नंबर 665 पर घर, ब्लॉक धरमपुरी, आर.एन.वी. 01, पी.एच.नं. 13, ग्राम गुजरी, तहसील धरमपुरी एवं जिला धार, मध्य प्रदेश, 454552. 3. अलका बाई, ग्राम पंचायत टेक्स रसीद क्रमांक 665 पर मकान. ब्लॉक धरमपुरी, आर.एन.वी. 01, पी.एच.नं. 13, ग्राम गुजरी, तह धरमपुरी और जिला धार, मध्य प्रदेश, 454552. 4. गणेश 517, गुजरी, धामनोद, मंदिर के पास, धार, मध्य प्रदेश, 454552. 5. गोविंद, 517, गुजरी, धामनोद, मंदिर के पास, धार, मध्य प्रदेश, 454552. 6. अलका बाई, 517, गुजरी, धामनोद, मंदिर के पास, धार, मध्य प्रदेश, 454552. 7. गणेश, सी/ओः गणेश किराना, गुजरी, धामनोद, मेन रोड के पास, धार, मध्य प्रदेश, 454552 ऋण खाता संख्या LNKHRLAP-07250313588 एवं LNKHRLAP-07250313589	01-11-2026	12.11.2026	रुपये 6,13,852 (छह लाख तेरह हजार आठ सौ बावन रुपये) - बकाया मूलधन, बकाया राशि (जिसमें अर्जित विलंब शुल्क शामिल हैं) और 09-11-2026 तक का ब्याज

बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण: यह संपत्ति 20 X 40 = 800 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली है। इसके सामने के हिस्से में 20 X 20 = 400 वर्ग फुट का एक टिन शेड है, और पीछे के हिस्से में 20 X 20 = 400 वर्ग फुट का एक मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी छत कंक्रीट (RCC) की बनी है। यह संपत्ति ग्राम पंचायत के भवन कर रजिस्टर (वर्ष 2025-26) में रजिस्टर नंबर 665 पर दर्ज है। उक्त संपत्ति की लंबाई, चौड़ाई और चारों दिशाओं का विवरण इस प्रकार है: पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 40 फुट है। उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई 20 फुट है। कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट (यानी 74.349 वर्ग मीटर) है। पूर्व में: सरकारी नाला है। पश्चिम में: आम रास्ता है। उत्तर में: श्री राम रामकृष्ण ब्राह्मण का मकान है। दक्षिण में: गणेश कैलाश का मकान है।

2	1. जय गोस्वामी, प्लॉट नंबर ई-13, सिंगापुर किशन पार्क, ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453112. 2. सीमा गोस्वामी, प्लॉट नंबर ई-13, सिंगापुर किशन पार्क, ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील मल्हारगंज, जिला. इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453112. 3. जय गोस्वामी, 203/4 सेक्टर सी, न्यू मडोल स्कूल के पास, कुशवाह नगर इंदौर, मध्य प्रदेश, आईएनडी, 452015. 4. सीमा गोस्वामी, 203/4 सेक्टर सी, न्यू मडोल स्कूल के पास, कुशवाह नगर इंदौर, मध्य प्रदेश, आईएनडी, 452015 ऋण खाता संख्या LNIND0HL-01250256523 एवं LNIND0HL-01250256524	01-11-2026	12.11.2026	12,91,368.15 रुपये (बारह लाख इक्यानवे हजार तीन सौ अड़सठ रुपये और पंद्रह पैसे) बकाया मूलधन, बकाया राशि (जिसमें अर्जित विलंब शुल्क शामिल हैं) और 09-11-2026 तक का ब्याज

बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण: सिंगापुर किशन पार्क, ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश (पिनः 453112) में स्थित LIG/EWS प्लॉट नंबर ई-13 (क्षेत्रफल 449.69 वर्ग फुट, यानी 41.79 वर्ग मीटर)। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में प्लॉट नंबर ई-14, पश्चिम में प्लॉट नंबर ई-11 और ई-12, उत्तर में कॉलोनी रोड, और दक्षिण में अन्य भूमि।

3	1. ज्योति पांडे, प्लॉट नंबर 366, ग्राम महूगांव, दक्षिण शांति नगर एक्सटेंशन कॉलोनी, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441. 2. शकुंतला विष्णुसिंह प्लॉट नंबर 366, ग्राम महूगांव, दक्षिण शांति नगर एक्सटेंशन। कॉलोनी, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441. 3. ज्योति पांडे, 101 दक्षिण शांति नगर, महूगांव महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441. 4. शकुंतला विष्णुसिंह, 101 दक्षिण शांति नगर, महूगांव महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441. ऋण खाता संख्या LNIND0HL-01200063907, LNIND0HL-01200063908 एवं LNINDLAP-03230164232	01-11-2026	11.11.2026	रुपये 16,09,639.7 (सोलह लाख नौ हजार छह सौ उनतालीस रुपये और सात पैसे मात्र) - बकाया मूलधन, बकाया राशि (जिसमें अर्जित विलंब शुल्क शामिल हैं) और 09-11-2026 तक का ब्याज

बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण: 600 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला वह भूखंड (प्लॉट), जो प्लॉट नंबर 366, ग्राम महूगांव, साउथ शांति नगर, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453441 पर स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में प्लॉट नंबर 367, पश्चिम में प्लॉट नंबर 365, उत्तर में सड़क, और दक्षिण में प्लॉट नंबर एल-11

4	1.राधे कुशवाह, प्लॉट नंबर 226, मां गिन्नी विहार, ग्राम पिपलिया मल्हार, तहसील महू (नई राऊ) और जिला इंदौर म.प्र. 453331. 2. दीपा कुशवाह, प्लॉट नंबर 226, मां गिन्नी विहार, ग्राम पिपलिया मल्हार, तहसील महू (नई राऊ) और जिला इंदौर म.प्र. 453331. 3. राधे कुशवाह, प्लाट नंबर 225, मां गिन्नी विहार, ग्राम पिपलिया मल्हार, तहसील महू (नई राऊ) एवं जिला इंदौर म.प्र. 453331. 4. दीपा कुशवाह, प्लॉट नंबर 225, मां गिन्नी विहार, ग्राम पिपलिया मल्हार, तहसील महू (नई राऊ) और जिला इंदौर म.प्र. 453331. 5. राधे कुशवाह, 267-बी, विधुर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452009. 6. दीपा कुशवाह, 267-बी, विधुर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452009. ऋण खाता संख्या LNIND0HL-09250328696, LNIND0HL-09250328697, LNIND0HL-09250332029 एवं LNIND0HL-09250332034